

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937

No. 265]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/MAGHA 9, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016

का.आ. 295(अ).—सिविल अपील संख्या 8629/2011 [एस.एल.पी. (सी) संख्या 17022/2008 के मामले में] के साथ सिविल अपील सं. 8630/2011 [एस.एल.पी. (सी) संख्या 17021/2008 के मामले में] और सिविल अपील संख्या 8631/2011[एस.एल.पी. (सी) संख्या 29771/2009 के मामले में] से सम्बन्धित, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2011 के निर्णय के अनुपालन में, मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.जी.टी.आई.एल.) के ईस्ट वेस्ट पाइपलाईन प्रोजेक्ट जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 101, शिवम् अपार्टमेंट, 9, पटेल कालोनी, बेदी बन्दर रोड, जामनगर-361008 (गुजरात) में है, के लिए यथोक्त सिविल अपीलों के आवेदकों की भूमि में “उपयोग के अधिकार” के अर्जन हेतु अधिकृत भूमियों से सम्बन्धित “मुआवजा तय” करने के मामलों में श्री एच.आर. कालैय्या, जी.ए.एस. को पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा-2 खण्ड (क) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह अधिसूचना, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिनांक 18 अप्रैल 2012 की अधिसूचना का.आ. 895(अ) के अनुसरण में जारी की जाती है।

[फा. सं. एल.-14014/34/2014-जी.पी.-II]

श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th January, 2016

S.O. 295(E).—In the pursuance of the Judgement of Supreme Court of India dated 13.10.2011 in Civil Appeal No. 8629 of 2011 [arising out of SLP(C) No. 17022 of 2008] with Civil Appeal No. 8630 of 2011 [arising out of SLP(C) No. 17021 of 2008] and Civil Appeal No. 8631 of 2011 [arising out of SLP(C) No. 29771 of 2009], Shri H.R. Kalaiya, G.A.S. is hereby authorized to perform the functions of the Competent Authority under clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for proceedings related to “determination of compensation” in respect of “Right of Use” acquired in lands belonging to the Applicants to the above mentioned Civil appeals, for East West Pipeline Project by M/s. Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited (RGTIL), having its Registered Office at 101, Shivam Apartments, 9 Patel Colony, Bedi Bunder Road, Jamnagar-361008 (Gujarat).

This Notification issues in supersession of Ministry of Petroleum & Natural Gas Notification-S.O. 895(E) dated 18th April, 2012.

[F. No. L-14014/34/2014-GP-II]

S. P. AGARWAL, Under Secy.